FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रामजीलाल आदि बनाम अंजली आदि

किस्म मुकदमा–स्थगन प्रा0पत्र नम्बर––––––62––––––सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.7.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री उमेश गौड उपस्थित। अप्रार्थी मंगलराम व हजारीलाल पुत्र गोपाल की ओर से श्री वरूण नागर अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.7.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर दौसा	
17.7.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी कैलाशचन्द पुत्र मोत्या व लक्ष्मीनारायण पुत्र कजोड उपस्थित। दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक स्थगन प्रार्थना पत्र ग्राम चक हरपट्टी तत्कालीन तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण स्थित आराजी पूर्व खसरा नंबर 14/40 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरण सं0 11 ग्राम चक हरपट्टी मोत्या पुत्र गोर्या के नाम अस्थाई खातेदारी का पट्टा हल्का द्वारा दिनांक 6.8.1969 को भरा गया जिस पर गिरदावर हल्का ने दिनांक 21.8.1969 को तुलना की गई एवं तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 25.4.1972 को तस्दीक किया गया। यह नामान्तरण आवंटन होना बताकर भरा व तस्दीक किया गया। प्रार्थीगण ने जिला अभिलेखागार दौसा में तथाकथित नामान्तरण की नकल प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.3.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को प्रतिलिपि शाखा द्वारा बाद अवलोकन अभिलेख यह तथ्य अंकित कर निरस्त फरमा दिया कि सन 1958 से 1968 के आवंटन पत्रावलियों की सूची का अवलोकन किया गया। तदनुसार सन 1965 आवंटी के नाम की आवंटन पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा होना नहीं पाया गया। जिला अभिलेखागार के उक्त आदेश की नकल प्रार्थीगण को दिनांक 27.4.2025 को प्राप्त हुई है। राजस्व अभिलेख नामान्तरण सं0 11 का आधार आवंटन आदेश है। स्व.मोत्या पुत्र गोरया के नाम भरा गया अस्थाई खातेदारी नामान्तरण किस आवंटन आदेश के अनुरूप भरा गया इसकी पुष्टि नहीं है। अस्थाई खातेदारी का राज. काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। आवंटन आदेश के अनुरूप गैर खातेदारी का नामान्तरण भरा जाता था तथा आवंटन नियमों की पालना के बाद खातेदारी नामान्तरण होता था। इस प्रकार तहसील प्रशासन द्वारा भरा गया नामान्तरण नियमानुसार सही नहीं था। नामान्तरण किस दिनांक के आवंटन आदेश से भरा गया इस तथ्य कर पुष्टि के बिना नामान्तरण सं0 11 बिना क्षेत्राधिकार के भरा गया तथा प्रमाणित है। आराजी पूर्व खसरा नंबर 14/40 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि थी जिस पर प्रार्थीगण रामदेव, गेदालाल व अप्रार्थी मोत्या पुत्र सुक्खा समान रूप से काश्त करते थे। अप्रार्थी ने पूर्वज मोत्या के अपने पिता का नाम गोरिया बताकर अपने नामान्तरण सं0 11 चक हरपट्टी का अस्थाई नामान्तरण अपने को आवंटी बताकर नामान्तरण भर दिया जबकि मोत्या [illegible]या नाम का कोई व्यक्ति चक हरपट्टी में नहीं था। नामान्तरण सं0 25.4.1[illegible] को [illegible]तहसीलदार दौसा द्वारा स्व0 मोत्या पुत्र गोरिया के नाम प्रमाणित किया गया है। नाम[illegible] जेर अपील पारित किये जाने से प्रार्थीगण को अपूरणीय [illegible] गई है। अप्रार्थीगण उक्त नामान्तमरण की आड में प्रार्थीगण के कब्जे उपयोग [illegible]ोग में बाधा उत्पन्न करने भूमि को रहन बय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। [illegible] सूरत में अपील के अंतिम निस्तारण तक नामान्तरण जैर अपील की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जाना एवं वादग्रस्त आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति को यथावत रखा जाना आवश्यक है। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील के अंतिम निर्णय होने तक नामान्तरण जैर अपील की क्रियान्विति को स्थगित फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पाबंद फरमावें कि वे उक्त नामान्तरण आदेश की आड में भूमि खसरा नंवर 73 से 76 वाके ग्राम चक हरपट्टी के मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत वनाये रखें। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1989 पेज 45, आरआरडी 1994 पेज 604, आरआरटी 2023(2) पेज 124, आरवीजे 2002 पेज 608 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 व 8 ने स्थगन प्रार्थना पत्र के जवाव में कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपील अत्यधिक देरीना मियाद वाहर पेश की गई है व देरी का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि से क्या संबंध है उसे प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। अपील में प्रार्थना पत्र एग्रीब्ड नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि से कोई वास्ता कभी नहीं रहा। अपीलांट्स का कब्जा किस प्रकार से रहा है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है और न ही अपील में ऐसा कोई विवरण दिया गया है। अपीलांट्स ने केवल राजनैतिक अदावट की भावना से रेस्पों0 को येन केन प्रकारेण परेशान करने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पों0 व उनके पूर्वज 53 वर्ष से भी अधिक समय से भूमि पर काविज होकर काश्त कर लाभांवित होते चले आ रहे है। अपीलांट्स का एकमात्र उद्देश्य रेस्पों0 को उनके कानूनी अधिकार से महरूम करने का है एवं इसी बदनीयति से उक्त अपील पेश की गई है। उपरोक्त अपील लगभग 53 वर्ष पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई हैं। रेस्पों. एवं उनके पूर्वजो का कब्जा व खातेदारी लगभग 53 वर्षों से लगातार चली आ रही है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्रारंभ से ही रही है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड लगातार नियमित रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा मेन्टेन किया जाता है। अपीलांट्स उसी गांव के है जहॉ भूमि स्थित है इसलिए यह संभव नहीं है कि रेस्पों. के नाम खातेदारी के नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स व उसके पूर्वजों को न हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 व 8 ने अवने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2010 डीएनजे (1) राज. 400, 2009 डीएनजे (1) राज. 215, 2009 डीएनजे (2) राज. 799, 2016(2) सीजे(सिविल) राज. 1150, 2009(1) सी.डीआर. राज. 377, 2015 एआईआर एस.सी. 1021, 2004 सी. डी.आर.(3) राज. 2061, 2016(2) सी.जे. (सिविल) राज. 1263, 2016(1) सी.जे. (सिविल) राज. 58, 2016(4) डीएनजे राज. 1729, 2016(3) सी.जे. (सिविल) राज. 1835 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार दौसा द्वारा खोले गये नामान्तरण सं. 11 दिनांक 25.4.1972 को 53 वर्ष वाद प्रस्तुत की जा रही है, जबकि मियाद की अवधि 30 दिवस की होती है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के विपक्ष में तय की जाती है। प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रहे।

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:56:25 IST
Reason: SelfAttested